



महिलाओं के विरुद्ध किशोर यौन अपराध का अध्ययन: सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य

डॉ. अरुणेश प्रताप सिंह

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग,

भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय दिव्यगवां जिला रीवा (म.प्र)

सारांश: इस शोध आलेख के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ किशोरों द्वारा किए गए यौन अपराध की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। किशोरों द्वारा महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मूल कारणों एवं किशोर अपराध के उभरते परिदृश्य को समझने का प्रयास किया गया है। इसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता किशोरों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट और हास्य होता सामाजिक ताना-बाना इसके लिए जिम्मेदार है। अतः किशोरों द्वारा किए गए यौन अपराध के आंकड़ों के माध्यम से बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

मुख्य शब्द: महिला उत्पीड़न, किशोर अपराध, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, छेड़छाड़, दुष्कर्म

प्रस्तावना: सभी सामाजिक बुराइयों की शुरुआत सामाजिक एवं सांस्कृतिक पतन से होती है। आज मानव समाज आडंबर और धन कमाने में इतना उन्माद हो गया है कि वह अपने बच्चों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों को सिखाना भूल गया है। जिससे किशोरावस्था जैसी नाजुक व उमंग भरी आयु में ही किशोर बालक छोटे से लेकर गंभीर अपराध कर रहे हैं। इनमें से इनके द्वारा किया जाने वाला एक गंभीर अपराध महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा है, जो समाज के नैतिक पतन का द्योतक है। साहित्य, कला और ऐतिहासिक दस्तावेज इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सभी संस्कृतियों और कालों में महिलाओं को इसका शिकार होना पड़ा है (Mittal et al., 2017)। यौन उत्पीड़न का अर्थ अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए दूसरे को प्रताड़ित करना है। इसके अंतर्गत छेड़छाड़ से लेकर गंभीर शारीरिक उत्पीड़न तक के सभी मामले आ जाते हैं। यह सामान्य रूप से पाया जाने वाला यौनचार है। घर से लेकर स्कूल, कालेज और कार्यस्थल तक महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है (मिश्रा, 2011)। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ता किशोर अपराध समाज के लिए एक गंभीर मुद्दा है (Meda, Chesney-Lind., Lisa, 2013)। आधुनिकता एवं प्रगति के इस दौर में किशोरों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध (Stephanie Wallach, 1978) करना समाज के लिए चिंताजनक है। यह एक देश की सीमा तक ही सीमित नहीं है बल्कि विश्व के सभी देशों में है। यौन हिंसा केवल शारीरिक उत्तेजना मात्र नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक बीमारी है जो सामाजिक बुराइयों से जन्म लेती है (Chowdhury & Ahamed, 2020)।

बलात्कार शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के 'RAPE' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जबरन छीनना या जबरजस्ती करना है। यौन उत्पीड़न को दुष्कर्म भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर छः मिनट में और भारत में हर आधे घंटे में एक महिला दुष्कर्म का शिकार होती है (Chowdhury & Ahamed, 2020)। शैल्डन ग्लूप ने सामान्य किशोर और अपराधी बालकों के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि अपराधी किशोर भी सामान्य बालक की ही तरह होते हैं और छोटे-मोटे अपराध करते हैं। उनका मानना था कि तकनीकी रूप से छोटा से छोटा अपराध भी अपराध है। किशोर अपचारियों का अध्ययन करते हुए पावर तथा विटमर का मानना था कि किसी को अपराधी मानने से पहले अपचार की गंभीरता को देख और समझ लेना चाहिए। उन्होंने बाल अपचारियों को अति अपचारी, साधारण अपचारी, प्रसंगवश अपचारी, कभी-कभार अपचारी, और नाममात्र अपचारी के रूप में विभाजित किया है (शर्मा, 2018)। सामाजिक मानदंड और मूल्य मनुष्य के मन, आत्मा और विचार का अभिन्न अंग होते हैं। ये समाज की संस्कृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसी सामाजिक बुराइयों को केवल कानून के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि कानून तो त्वचा रोग की तरह मात्र बाहरी दवा की तरह काम करता है (Chowdhury & Ahamed, 2020), लेकिन वास्तविक उपचार सामाजिक संस्कृति और नैतिक मूल्यों का जीवन में समावेश करने से ही किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. भारत में किशोरों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराध की स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिलाओं पर किशोर यौन उत्पीड़न के कारणों को समझना।

अध्ययन की विधि:

शोध समस्या के अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक स्रोत के लिए बाल संप्रेक्षण गृह रीवा, बाल न्याय बोर्ड रीवा एवं सतना, बाल कल्याण समिति रीवा एवं सतना, पुलिस स्टेशन रीवा एवं सतना शहर को सुविधाजनक निदर्शन के लिए चयनित किया गया। इनमें से बाल संप्रेक्षण गृह रीवा को अध्ययन के लिए प्राथमिकता दी गई। इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, उमरिया जिले के साथ कुछ उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों से विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अपचारियों को रखा जाता है। द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन करने के लिए शोध पत्रों, मानक पुस्तकों एवं वेबसाइटों आदि का सहारा लेकर इस शोध कार्य को प्रबंधनीय बनाया गया है।

निदर्शन का विवरण:

सर्वप्रथम दोनों शहरों से कुल 200 किशोर अपराधियों को चयनित किया गया। इनमें से अध्ययन के उद्देश्य के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से 51 किशोरों अपचारियों का चयन कर अध्ययन किया गया। इसके लिए संबंधित संस्थानों से आवश्यकतानुसार लिखित एवं अलिखित अनुमति प्राप्त की गई। इसके साथ ही जूवनाइल बोर्ड एवं पुलिस थानों में उपस्थित बालकों के अभिभावकों से भी मौखिक अनुमति एवं सहमति प्राप्त कर बालकों से प्रश्नोत्तरी कर जानकारी प्राप्त की गई।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण:

साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का वर्गीकरण एवं सारणियों के रूप में परिवर्तित कर श्रेणीबद्ध किया गया है। जिससे की आंकड़ों को समझने व विश्लेषण करने में आसानी हो। आंकड़ों का सारणीयन एवं वर्गीकरण करने के पश्चात डायग्राम एवं दंडारेख के माध्यम से कार्य-कारण संबंधों को विश्लेषित किया गया है।


भारत में महिलाओं के विरुद्ध किशोर अपराध

सारणी क्रमांक-1

वर्ष	दुष्कर्म	दुष्कर्म का प्रयास	महिलाओं पर हमला	कुल अपराध
2016	2054	73	1627	3754
2017	1737	47	1651	3435
2018	1678	45	1535	3258
2019	1383	40	1327	2750
2020	1022	36	1305	2363
कुल अपराध	7874	241	7445	15560

स्रोत:क्राइम इन इंडिया

2018 में महिलाओं पर हमले के 1535 मामले थे जो 2020 में 1305 रह गए जो वर्ष 2019 की तुलना में 22 कम थे। दुष्कर्म के मामलों में देखा जाय तो 2018 में 1678 मामले थे जो 2019 में 1383 और 2020 में 1022 हो गए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध बालकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में पिछले तीन वर्षों में अन्य अपराधों की तुलना में ग्राफ लगातार गिर रहा है।




हालांकि ग्राफ 1 से स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हुए प्रतिदिन लगभग 7 किशोरों को और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास करते हुए महीने में लगभग 4 किशोर पकड़े जाते हैं। वहीं प्रतिदिन 4 किशोर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़े जाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराध

सारणी क्रमांक:2

अपराध	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
बलात्कार	33	64.7
छेड़छाड़	18	35.3
कुल योग	51	100.00

सारणी क्रमांक 2 और चार्ट 2 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध किशोरों द्वारा लगभग 65% बलात्कार और 35% छेड़छाड़ के अपराध किए गए। वर्तमान पीढ़ी नैतिक मूल्यों से भटक कर महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ एवं बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बालकों में इस प्रकार की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होगी।




महिलाओं के विरुद्ध किशोर अपराध का कारण

सारणी क्रमांक:3

महिला अपराध का कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
महिला आकर्षण	8	15.7
लड़की के घर वालों ने फसाया	14	27.5
मूवी देखने के कारण	5	9.8
दोस्तों के कारण	21	41.2
नशा के कारण	3	5.8
कुल योग	51	100.00

सारणी क्रमांक 3 एवं चार्ट 3 के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि 15.7% उत्तरदाताओं ने इसके लिए महिला आकर्षण को जिम्मेदार माना। 27.5% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है लड़की के घर वालों ने उसे फसाया है। सर्वाधिक 41.2% उत्तरदाताओं ने महिला अपराध के लिए दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया है। 9.8% उत्तरदाताओं ने मूवी और 5.8% ने नशा को महिला अपराध के लिए जिम्मेदार

माना है। महिलाओं एवं लड़कियों से संबंधित मामले अतिसंवेदनशील एवं गंभीर होने के कारण थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर समाज दोषी बनाने में देर नहीं करता और किशोर वर्तमान में आए दिन जाने-अनजाने में इसी का शिकार हो रहे हैं।



निष्कर्ष:

इस अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध किशोर यौन अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका तत्काल समाधान की आवश्यकता है। हालांकि इन यौन अपराधों में उतार-चढ़ाव कि स्थिति बनी हुई है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस तरह के अपराध के लिए किशोर अपने मित्रों को उत्तरदायी मानते हैं। समाज में महिलाओं और लड़कियों के मामले में तुरंत दोष लगाने की प्रवृत्ति ने भी किशोरों को अनजाने में इसका शिकार बना दिया है। अतः केवल कानून के माध्यम से इसका निवारण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बाल्यावस्था से ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश तो करना ही होगा साथ ही समाज में शिक्षा और जागरूकता लानी होगी। समाज को महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के वास्तविक कारणों और परिणामों के बारे में शिक्षित कर एक सम्मानजनक प्रयास किया जा सकता है।

1. Chowdhury, M. A., & Ahamed, A. (2020). A Sociological Study on the Rape , Rapist and the Victim of Rape in. *Journal of Social Sciences and Humanities Review (JSSHR)*, 5(2).
2. Meda, Chesney-Lind., Lisa, P. (2013). *Girls, Women, and Crime: Selected Readings*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483387574>
3. Mittal, S., Singh, T., & Verma, S. K. (2017). Young adults ' attitudes towards rape and rape victims : effects of gender and social category. *Journal of Psychology and Clinical Psychiatry Research*, 7(4), 1–6. <https://doi.org/10.15406/jpcpy.2017.07.00447>
4. Stephanie Wallach, S. S. (1978). The Crime of Precocious Sexuality: Female Juvenile Delinquency in the Progressive Era. *Harvard Educational Review*, 48(1), 65–94. <https://doi.org/10.17763/HAER.48.1.T62068326050748Q>
5. मिश्रा, डॉ. पी. के. (2011). *यौन अपराध एक मूल्यांकन* (प्रथम). बसंती पुब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
6. शर्मा, एच. पी. (2018). *बाल मन और अपराध* (प्रथम). साहित्यशिला प्रकाशन 81.